रजिस्ट्री सं. डी एल--33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 26, 1996 (कार्तिक 4, 1918)
No 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 26, 1996 (KARTIKA 4, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया

केन्द्रीय कार्यालय

मुम्बई, दिनांक 5 सितम्बर 1996

सं. केबा/कार्मिक/अधिनी/96-97/1098—बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 (1970 का 51 की धारा 12) की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) ये विनियम सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया अधिकारी सेवा (संशोधन), 1996 कहलाएंगे ।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से उपबंधितानुसार, ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया अधिकारी सेवा विनियम, 1979 (जिसे इसके पश्चात मूल विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 4 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात

4 (1) 01-11-1987 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी :
वेतनमान 7 रु. 6400-150-7000
वेतनमान 6 रु. 5950-150-6550

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 5 रु. 5350-150-5950
वेतनमान 4 रु. 4520-130-4910-140-5050
150-5350

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 3 रु. 4020-120-4260-130-4910
वेतनमान 2 रु. 3060-120-4260-130-4390

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 1 रु. 2100-120-4020

4 (2) 01-07-1993 को तथा उसके बाद, प्रत्येक श्रेणी को सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान लागू होंगे :

(क) शीर्ष प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 7 रु. 12650-300-13250-350-13600-400-14000
वेतनमान 6 रु. 11450-300-12650

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 5 रु. 10450-250-11450
वेतनमान 4 रु. 8970-230-9200-250-10450

(ग) मध्य प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 3 रु. 8050-230-9200-250-9700
वेतनमान 2 रु. 6210-230-8740

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :
वेतनमान 1 रु. 4250-230-4940-350-5290-230-8050

4 (3) उप विनियम (1) और (2) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारी रखना अपेक्षित है ।

3. मूल विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात

5 (1) विनियम 4 (2) के उपबंधों के अध्यधीन, दिनांक 01-11-1992 को या उसके बाद से, वेतनवृद्धियां उप खण्डों के अध्यधीन दी जाएंगी :

(क) विनियम 4 के उपवर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्यधीन वार्षिक आधार पर प्रोद्भूत होंगी और वे जिस महीने में देय होती हैं उस महीने की पहली तारीख को दी जाएंगी ।

(ख) वेतनमान 1 तथा 2 के अधिकारियों को, अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के पश्चात, अगले उच्च वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि(यों) सहित आगे की वेतनवृद्धियां केवल नीचे (ग) में निर्दिष्ट आधार पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाएंगी बशर्ते कि वे दक्षतारोध को पार कर लें ।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 2 तथा 3 के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को, यथास्थिति, वेतनमान 2 तथा 3 के अंतिम प्रक्रम पर पहुंचने के पश्चात प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि(यां) दी जाएगी/जाएंगी, वेतनमान 2 के अंतिम प्रक्रम पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में रु. 230/- की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियां दी जाएंगी तथा वेतनमान 3 के अंतिम प्रक्रम के अधिकारियों के मामले में रु. 250/- की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी ।

परन्तु 1-11-1994 और उसके बाद से, मूल वेतनमान 3 के अधिकारियों को अर्थात जो वेतनमान 3 में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात प्रदान की जाएगी ।

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में की गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा. ऐसी वेतनवृद्धियां पाने के पश्चात भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद को वेतनमान 2 तथा 3 के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियां, छुट्टी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलेंगे ।

(2) नियत तारीख को या उसके पश्चात् भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी. ए. आई. आई. बी.) परीक्षा का प्रत्येक भाग उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की जाएगी ।

स्पष्टीकरण-1

जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित एसोसिएट (सी. ए. आई. आई. बी.) परीक्षा का भाग 1 या भाग2 उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से, यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियां दी जाएंगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो,

स्पष्टीकरण-2

(क) 01-11-1987 को तथा उसके बाद से वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने वाले अथवा पहुंच चुके ऐसे अधिकारियों को जो पदोन्नति पाए बिना और आगे नहीं जा सकते, सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन, यदि कोई हों, सी. ए. आई. आई. बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के स्थान पर निम्नानुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता दिया जाएगा ।

जिन्होंने सी. ए. आई. आई. बी. का केवल भाग I उत्तीर्ण किया है	(i) एक वर्ष पश्चात् रु० 100/- प्रति माह जिसमें रु० 75/- अधिवार्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।
जिन्होंने सी०ए०आई० आई बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(ii) एक वर्ष पश्चात रु० 100/- प्रति माह जिसमें से रु० 75/- अधिवार्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।
	(iii) दो वर्ष पश्चात् रु० 250/- प्रति माह जिसमें से रु० 200/- अधिवार्षिता लाभ के लिए गिने जाएंगे ।

(ख) 01-11-1994 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक अर्हता भत्ते की मात्रा निम्नानुसार पुनरीक्षित रहेगी ।

जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० का केवल भाग 1 उत्तीर्ण किया है	(i) वेतनमान के अधिकतम पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह
जिन्होंने सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग उत्तीर्ण कर लिए हैं	(i) वेतनमान के अधिकतम पहुंचने पर एक वर्ष पश्चात् रु० 120/- प्रति माह
	(ii) वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने पर दो वर्ष पश्चात् रु० 300/- प्रति माह

परन्तु विनियम 5 (3) (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र अधिकारी, यथास्थिति, क्रमशः भाग 1 या 2 के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने के एक/दो वर्ष पश्चात् प्राप्त कर सकेंगे,

टिप्पणी :

(1) यदि किसी ऐसे अधिकारी को जिसे व्यावसायिक अर्हता भत्ता मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक, सी. ए. आई. आई. बी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएंगी और यदि वेतनमान में कोई भी वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं है अथवा केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध है तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के एवज में व्यावसायिक अर्हता भत्ता पाने का पात्र होगा ।

(2) 01-11-1994 को तथा उसके बाद से परिशोधित व्यावसायिक अर्हता भत्ते को महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।

3(क) जो अधिकारी 01-11-1993 को बैंक की स्थायी सेवा में है, उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी, जो अधिकारी 01-11-1993 को परिवीक्षा पर है उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी ।

टिप्पणी :

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01-11-1993 को अवरोध वेतनवृद्धि(यां) प्राप्त कर चुका है वह 01-11-1993 से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01-11-1993 को देय महंगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ते की मात्रा के बराबर होगा । यहां नीचे दिया गया नियत वैयक्तिक भत्ता तथा साथ ही साथ महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, संपूर्ण सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध कर दिया जाएगा ।

वेतनवृद्धि घटक	01-11-1993 को महंगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क)	(ख)	(ग)
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

टिप्पणी :

(1) ऊपर (सी) में निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता उन अधिकारी/कर्मचारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है ।

(2) मकान किराया भत्ते के लिए पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता, विनियम 4 के उप विनियम (2) में निर्दिष्टानुसार संशोधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर, (क)+(ख) + संबद्ध अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा ।

(3) नियत वैयक्तिक भत्ता पाने वाले वर्ष में देय व्यावसायिक अर्हता भत्ता, यदि कोई हो, अगले वर्ष दिया जाएगा ।

(4) नियत वैयक्तिक भत्ते के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा ।

(ग) जिस अधिकारी को अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (ख) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते की प्रमात्रा, वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष पश्चात् प्राप्त होगी ।

4. मूल विनियमों में, विनियम 21 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

21 (1) 01-11-1987 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता योजना इस प्रकार होगी—

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 600 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा ।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा :

(1) रुपए 2,500/- तक "वेतन" का 0.67%, धन (+),

(2) रुपए 2,500/- से ऊपर परन्तु रु. 4,000/- तक "वेतन" का 0.55%, धन (+)

(3) रु. 4,000/- से ऊपर परन्तु रु. 4,260/- तक "वेतन" का 0.33%, धन (+)

(4) रु. 4,260/- से ऊपर "वेतन" का 0.17%

21 (2) 01-07-1993 को तथा उसके बाद से, महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा—

(1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य आधार 1960=100 की तिमाही औसत में 1148 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक वृद्धि अथवा गिरावट के हिसाब से संदेय होगा ।

(2) महंगाई भत्ता निम्नलिखित दरों पर संदेय होगा—

(क) रु. 4,800/- तक "वेतन" का 0.35% धन (+),

(ख) रु. 4,800/- से ऊपर परन्तु रु. 7,700/- तक "वेतन" का 0.29%, धन (+),

(ग) रु. 7,700/- से ऊपर परन्तु रु. 8,200/- तक "वेतन" का 0.17% धन (+),

(घ) रु. 8,200/- से ऊपर "वेतन" का 0.09%

टिप्पणी :

(1) मंहगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु "वेतन" से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(2) मंहगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 01-11-1994 से गिना जाएगा ।

5. मूल विनियमों में, विनियम 22 के उप-विनियम (1) और (2) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्

22 (1) 1-11-1994 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसके प्रथम प्रक्रम में मूल वेतन के 4% के बराबर रकम या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।

22 (2) 1-11-1992 को या उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा मकान नहीं दिया गया है तो वह निम्नलिखित दरों पर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा—

स्तंभ I	स्तंभ II
कार्यस्थल निम्नलिखित स्थानों पर होने पर	देय मकान किराया भत्ता
(i) सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख "ए" वर्ग के नगर तथा समूह "ए" के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 13% प्रति माह
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह 'बी' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 12% प्रति माह
(iii) क्षेत्र II तथा उपर्युक्त (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों की राजधानियां	वेतन का 10½% प्रति माह
(iv) क्षेत्र III	वेतन का 9½% प्रति माह

परन्तु यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उसके प्रथम प्रक्रम के 4% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिया गया वास्तविक किराया या ऊपर स्तंभ 2 के अनुसार देय मकान किराया भत्ते का 150%, जो भी कम हो, होगा ।

टिप्पणी :

(1) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु "वेतन" से मूल वेतन तथा 1-7-1993 को परिशोधित वेतनमान के अनुसार अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत हैं ।

(2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन हेतु व्यावसायिक अर्हता भत्ते को 1-11-1994 से प्रभावी गिना जाएगा ।

6. मूल विनियमों में, विनियम 23 के उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

23 (1) 1-11-1993 को और उसके बाद से, यदि अधिकारी निम्नलिखित सारणी के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान में कार्यरत हो तो वह उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :

स्थान	दर
(क) क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4½% अधिकतम रु० 335/- प्रति माह
(ख) 5 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान और राज्यों का राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेयर जो ऊपर (क) में नहीं आते ।	मूल वेतन का 3½% अधिकतम रु० 230/- प्रति माह

7. मूल विनियमों में, विनियम 24 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

24 (1) अधिकारी अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात्—

(क) चिकित्सा व्यय

1-11-1994 को और उसके बाद से अधिकारी द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति नीचे स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट श्रेणी तथा स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट प्रतिपूर्ति सीमा के अध्यधीन की जाएगी । इसके लिए अधिकारी को अपनी ओर से ही प्रमाण-पत्र देना होगा कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसे खर्च का विवरण देना होगा ।

सारणी

श्रेणी	वार्षिक
1	2
कनिष्ठ प्रबंधन तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी	रु. 1,500/-
वरिष्ठ प्रबंधन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु. 2,000/-

टिप्पणी :

(1) उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी ।

(2) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 1994 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति दो महीने, अर्थात् नवम्बर और दिसम्बर, 1994 के लिए यथानुपात बढ़ाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के "परिवार" में उसका पति/पत्नी, पूर्णतः आश्रित संतान और पूर्णतः आश्रित माता-पिता ही शामिल होंगे ।

(ङ) अस्पताल में भर्ती खर्च

(1) 1-11-1994 को और उसके बाद से, अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक के खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी । सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन बिलों, वाउचरों आदि के आधार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

(2) अधिकारियों या उनके परिवार के सदस्यों से, यथा-स्थिति, यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसी सरकारी या नगरपालिका अस्पताल में या किसी निजी अस्पताल अर्थात् किसी न्यास, धर्मार्थ संस्थान या धार्मिक मिशन के प्रबंधन के अधीन आने वाले अस्पतालों में भर्ती हों, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारीगण या उनके परिवार के सदस्य अथवा दोनों किसी अनुमोदित निजी नर्सिंग होम या बैंक द्वारा अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं किन्तु ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति ऊपर वर्णित अस्पतालों में भर्ती पर प्रतिपूर्ति-योग्य राशि तक सीमित रहेगी ।

(3) 1-11-1994 को या उसके बाद से, मान्यताप्राप्त अस्पताल के प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा घर पर इलाज की आवश्यकता प्रमाणित करने पर निम्नलिखित रोगों के चिकित्सा खर्चों को भी अस्पताल में भर्ती खर्च माना जाएगा और उससे संबंधित चिकित्सा खर्चों की अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :

कैंसर, श्वेतरक्तता, थैलसीमिया, तपेदिक, पक्षाघात, हृदयरोग, कुष्ठ रोग, गुर्दे की खराबी, मिरगी, पार्किन्सन की बीमारियां, मनोविकार दोष और मधुमेह ।

टिप्पणी घरेलू उपचार के मामले में दवाओं आदि की लागत की प्रतिपूर्ति विशेषज्ञ के नुस्खे में उल्लिखित अवधि के लिए की जाएगी । यदि अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो प्रतिपूर्ति के प्रयोजन हेतु नुस्खा 90 दिनों तक वैध होगा ।

(2) उक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के होते हुए भी और उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) बैंक में उपलब्ध थे, निदेशक-मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें बनाए रखने का विनिश्चय कर सकता है और यदि निदेशक-मण्डल ऐसा तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे ।

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निलंबित अधिकारियों को भी दी जाएंगी ।

(8) मूल विनियमों में, विनियम 25 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्—

25. अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा । किन्तु, यदि बैंक चाहे तो वह अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1-11-1994 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 4% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराये का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा ।

परन्तु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उनके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1% के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी ।

यदि बैंक द्वारा ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे ।

(9) मूल विनियमों में, विनियम 41 के उप-विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

41(4) 1-6-1995 को और उसके बाद से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित श्रेणी/वेतनमान का अधिकारी स्तंभ 2 में वर्णित तद्नुरूपी दरों से विराम भत्ता पाने का हकदार होगा :

दैनिक भत्ता (रुपयों में)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	प्रथम 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
वेतनमान-IV और उससे ऊपर के अधिकारी	250.00	200.00	175.00
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	200.00	175.00	150.00

परन्तु

(क) यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा ।

(ङ) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों के अधिकारियों को होटल में वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है जो नीचे बताई गई सीमा तक भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) के होटलों में एकल आवास कमरे के प्रभारों तक सीमित होगी :

खान-पान खर्च (रुपये)

अधिकारियों की श्रेणी/वेतनमान	ठहरने की पात्रता	प्रमुख 'ए' वर्ग के नगर	क्षेत्र-I	अन्य स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वेतनमान VI और VII	4* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान IV और V	3* होटल	250.00	200.00	175.00
वेतनमान II और III	2* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00
वेतनमान I	1* होटल (अवातानुकूलित)	200.00	175.00	150.00

(ग) सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपर परंतुक (ङ) में निर्धारित सीमाओं से अधिक अतिरिक्त सीमा की प्रतिपूर्ति बांड निर्धारित कर सकता है ।

(च) यदि आवास की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो तीन चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा ।

(छ) यदि भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा निःशुल्क की गई है तो आधा विराम भत्ता दिया जाएगा ।

(ज) यदि आवास और भोजन की व्यवस्था बैंक की लागत पर/बैंक द्वारा की गई है तो चौथाई विराम भत्ता दिया जाएगा । लेकिन, यदि कोई अधिकारी वास्तविक रूप में हुए खर्च के संबंध में बिल प्रस्तुत किए बिना, घोषणा के आधार पर आवास खर्च का दावा करता है तो उसे चौथाई विराम भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

(झ) सभी निरीक्षण अधिकारियों को मुख्यालय से बाहर निरीक्षण ड्यूटी पर विराम के प्रतिदिन के लिए रु. 10/- का अनुपूरक दैनिक भत्ता दिया जा सकता है ।

स्पष्टीकरण

विराम भत्ते की संगणना के लिए "प्रतिदिन" का अभिप्राय है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भी भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी । यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो "प्रतिदिन" से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जो 8 घंटे से कम न हो ।

10. मूल विनियमों में, विनियम 42 के उप-विनियम 2(1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्—

42.2(1) 1-7-1993 को और उसके बाद से, स्थानांतरित अधिकारी को मालगाड़ी से अपने सामान के परिवहन के लिए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी :

वेतन-सीमा	परिवार सहित	परिवार रहित
रु० 4,250/- से रु० 8,210/- प्रतिमाह	6,000 किलोग्राम	1,000 किलोग्राम
रु० 8,211 - प्रतिमाह और उससे अधिक	पूरा माल डिब्बा	2,000 किलोग्राम]

11. मूल विनियमों में विनियम 45 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

45. भविष्य निधि और पेंशन

(1) प्रत्येक अधिकारी, यदि वह पहले ही भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो बैंक द्वारा गठित भविष्य का सदस्य बनेगा तथा वह ऐसी निधि को शासित करने वाले नियमों द्वारा आबद्ध होने के लिए सहमत होगा ।

(2) भविष्य निधि नियमों में यह व्यवस्था है कि 1-11-1993 को और उसके बाद से :—

(क) पेंशन योजना द्वारा शासित अधिकारी के मामले में केवल अधिकारी द्वारा वेतन के 10% की दर से भविष्य निधि में अंशदान, बैंक की ओर से किसी समतुल्य अंशदान के बिना, किया जाएगा ।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।

(ख) पेंशन योजना द्वारा शासित न होने वाले अधिकारी के मामले में, अधिकारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान और बैंक द्वारा समतुल्य अंशदान वेतन 10% की दर से किया जाएगा ।

परन्तु 1-7-1993 से 31-10-1993 के लिए भविष्य निधि में पहले ही किए गए अंशदानों के कारण कोई समायोजन नहीं किया जाएगा ।

(3) 29-9-1995 को या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित होंगे ।

तथापि निम्नलिखित श्रेणी के अधिकारी पेंशन योजना द्वारा शासित नहीं होंगे :

(क) जो अधिकारी 29-9-1995 के पूर्व बैंक की सेवा में था, बशर्ते कि उसने पेंशन योजना के संबंध में बैंक की नोटिस के जवाब में पेंशन योजना का सदस्य होने का विकल्प विशेष रूप से चुन लिया हो ।

(ख) जो अधिकारी 29-9-1995 को या उसके बाद 35 वर्ष या उससे अधिक की आयु में भर्ती हुआ है, और जिसने पेंशन योजना के अनुसार पेंशन का अपना अधिकार छोड़ देना चुना है।

टिप्पणी : भविष्य निधि के प्रयोजन हेतु "वेतन" का अर्थ है मूल वेतन, जिसमें अवरोध वेतनवृद्धियां, स्थानापन्न भत्ता, व्यावसायिक अर्हता भत्ता और नियत वैयक्तिक भत्ते का वेतन-वृद्धि घटक शामिल है।

12. मूल विनियमों में, विनियम 46 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

46. उपदान :

(1) प्रत्येक अधिकारी, निम्नलिखित स्थितियों में उपदान के लिए पात्र होगा :—

(क) सेवा-निवृत्ति पर,

(ख) मृत्यु पर,

(ग) ऐसी निःशक्तता पर जिसके कारण बैंक द्वारा अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण-पत्र के अनुसार वह आगे सेवा के लिए अक्षम है,

(घ) दस वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी करने के बाद त्याग-पत्र देने पर, या

(ङ) दस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दण्डस्वरूप सेवा-समाप्ति को छोड़कर अन्य किसी कारण से सेवा-समाप्ति पर,

(2) अधिकारी को देय उपदान की राशि के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक माह का वेतन, जो अधिक से अधिक 15 माह का वेतन हो सकता है।

परन्तु यदि किसी अधिकारी ने 30 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी की है तो वह उपदान के रूप में 30 वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए आधे माह के वेतन की दर से अतिरिक्त राशि का पात्र होगा।

परन्तु जिस अधिकारी की सेवाएं 1-7-1993 से 31-10-1994 के दौरान समाप्त हो गयी हैं उसके उपदान के प्रयोजन हेतु वेतन से तात्पर्य विनियम 4 के उप-विनियम (1) में उल्लिखित अनुसार वेतनमान से है।

टिप्पणी : यदि सेवाकाल के पूर्ण वर्षों के अतिरिक्त छह महीने या उससे अधिक की कोई अवधि बनती है तो उस अवधि के लिए अनुपातिक आधार पर उपदान दिया जाएगा।

एन. बालकृष्णन
महाप्रबंधक (कार्मिक)

पाद टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमों में पहले किए गए संशोधन अधिसूचना सं. 16, 24 और 13 दिनांक 21-4-90, 15-6-91 और 28-3-92 द्वारा गजट किए गए थे।

ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स

(कार्मिक विभाग)

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 सितम्बर 1996

सं. 3920 बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स का निदेशक मण्डल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्वमंजूरी से ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम 1982 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन विनियमों का नाम ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1982 (जिसे इसमें इसके बाद मूल विनियम कहा गया है), के विनियम 4 में 'छोटे दण्ड' के तहत खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाए, अर्थात् :—

(क) "(ङ) 3 वर्षों से अनधिक अवधि के लिए वेतन समयमान में निचले प्रक्रम में कमी, संचयी प्रभाव के बिना और अधिकारी के पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली नहीं।"

(ख) 'बड़े दण्ड' शीर्ष के तहत खण्ड (ङ), (च), (छ) और (ज) का पुनः संख्यांकन करके खण्ड (छ), (ज), (झ) और (ञ) कर दिया जाए।

(ग) पुनः संख्यांकित खण्ड (छ) के पहले निम्नलिखित शामिल किया जाए, अर्थात् :—

"(च) उपर्युक्त (ङ) में किए गए प्रावधान को छोड़कर, निर्धारित अवधि के लिए वेतन समय-मान के निचले प्रक्रम में कमी, इन अतिरिक्त निदेशों के साथ कि क्या ऐसी कमी की अवधि के दौरान अधिकारी वेतनवृद्धियां प्राप्त करेगा या नहीं और क्या ऐसी कमी की अवधि समाप्ति पर उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित करने पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं।"

(घ) पुनः संख्यांकित खण्ड (छ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :-

'(छ) निचले प्रक्रम या पद में कमी।'

3. मूल विनियमों के विनियम 6 के उप विनियम (1) में, विनियम 4 के खण्ड (ङ), (च), (छ) और (ज) शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर "विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ)" शब्द, कोष्ठक और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं।

4. मूल विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) में "विनियम (4) के खण्ड (क) से (घ)" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर "विनियम 4 के खण्ड (क) से (ङ)" शब्द, कोष्ठक और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं।

5. मूल विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) के प्रथम परन्तुक में "विनियम 4 के खण्ड (ङ), (च), (छ) और (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर "विनियम

4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) और (ञ)" शब्द, कोष्ठक और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं ।

6. मूल विनियमों के विनियम 18 के प्रथम परन्तुक में "विनियम 4 के खण्ड (ङ), (च), (छ) अथवा (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और आंकड़ों के स्थान पर "विनियम 4 के खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) अथवा (ञ)" शब्द, कोष्ठक और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएं ।

टिप्पणी : ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियमों में पूर्व संशोधन भारत के राजपत्र के भाग-3 और खण्ड-4 में नीचे दिए विवरणानुसार प्रकाशित किए गए :—

क्र. सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख
1.	3905—12-11-1988

पी. के. शर्मा
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

छावनी परिषद

इलाहाबाद छावनी, दिनांक 9 सितम्बर 1996

सं. का. नि. आ. टी-51/1—इलाहाबाद छावनी की सीमाओं के भीतर गृह कर अधिरोपित करने के बारे में एक सार्वजनिक सूचना का प्रारूप छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 61 की अपेक्षानुसार छावनी बोर्ड की सूचना संख्या टी-51/1/250 दिनांक 26 जुलाई 1995 के साथ दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27 जुलाई 1995 को प्रकाशित किया गया था और उक्त सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने तक उसके बारे में आक्षेप व सुझाव मांगे गए थे ।

और उक्त सूचना तारीख 26 जुलाई 1995 को छावनी परिषद के सूचना पट पर लगाई गई थी ।

और उस पर जनता से प्राप्त आक्षेप व सुझाव छावनी परिषद द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया ।

अतः छावनी परिषद इलाहाबाद उक्त अधिनियम की धारा 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इलाहाबाद छावनी की परिसीमाओं में सभी भूमि, भवनों पर उनके वार्षिक मूल्यांकन के 13% की दर गृह-कर अधिरोपित करता है ।

प्रतिबंध यह है कि उपरोक्त कर छावनी परिषद् तथा केन्द्रीय सरकार के भूमि, भवनों पर अधिरोपित न होगा ।

ए. वी. धर्मारेड्डी
छावनी अधिशासी अधिकारी
इलाहाबाद छावनी

नोट :—

छावनी परिषद इलाहाबाद ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर सभी भूमि एवं भवनों पर उनके वार्षिक मूल्यांकन का 10% की दर से गृहकर अधिरोपित किया था जो राजपत्र अधिसूचना सं. 176 दिनांक 7-11-42 को भाग-3, खण्ड-4 दिनांक 7-11-42 में प्रकाशित किया गया था ।

छावनी परिषद इलाहाबाद ने केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर भारत सरकार रक्षा विभाग के अधिसूचना सं. 176 दिनांक 7-11-42 में निम्नलिखित संशोधन किया ।

उपरोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित पैराग्राफ जोड़ दिया जाए :—

"यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 1943 से अधिरोपित है"

राजपत्र अधिसूचना सं. 95 दिनांक 13-2-1943 भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था ।

CENTRAL BANK OF INDIA
(CENTRAL OFFICE)

Mumbai, the 5th September 1996

No. CO/PRS/IRP/96-97/1098.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Central Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :

(1) These Regulations may be called Central Bank of India (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1996.

(2) Save as otherwise expressly provided in these Regulatioons, these Regulations shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Bank of India (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as principal Regulations), for Regulation 4, the following may be subetituted, namely :

4(1) On and from 1-11-1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under :—

(a) *Top Executive Grade* :
Scale VII—Rs. 6400-150-7000/-.
Scale VI—Rs. 5950-150-6550/-.

(b) *Senior Management Grade* :
Scale V—Rs. 5350-150-5950/-.
Scale IV—Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350/-.

(c) *Mlddle Management Grade* :
Scale III—Rs. 4020-120-4260-130-4910/-
Scale II—Rs. 3060-120-4260-130-4390/-

(d) *Junior Management Grade* :
Scale I—Rs. 2100-120-4020/-

4(2) On and from 1-7-1993, the scales of pay specified against each grade shall be revised as under :—

(a) *Top Executive Grade* :

—Scale VII Rs. 12650-300-13250-350-13600-400-14000/-

—Scale VI Rs. 11450-300-12650/-

(b) *Senior Management Grade* :

—Scale V Rs. 10450-250-11450/-

—Scale IV Rs. 8970-230-9200-250-10450/-

(c) *Middle Management Grade* :

—Scale III Rs. 6050-230-9200-250-9700/-

-Scale II Rs. 6210-230-8740/-

(d) *Junior Management Grade* :

Scale I Rs. 4250-230-4940-350-5290-230-8050/-

4(3) Nothing in Sub-Regulations (1) and (2) shall be construed as requiring the Bank to have at all time, officers serving in all these grades.

3. In principal Regulations, for Regulation 5 the following may be substituted, namely-:—

5(1) Subject to the provisions of Regulation 4(2), on and from 1-11-1992, the increments shall be granted subject to the following sub-clauses-:—

(a) The increment specified in the scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority ,accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs. 230/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs. 250/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1-11-1994 officers in substantive Scale III *i.e.*, those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Note :—

Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

(2) An additional increment shall be granted in the scale of pay for passing each part of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination on or after the appointed date.

Explanation I :

In the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination

Explanation II :

(a) On and from 1-11-1987 officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB :

(i) Rs. 100/- p.m. after one year of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.

Those who have passed both Part of CANNB :

(i) Rs. 100/- p.m. after one year, of which Rs. 75/- shall rank for superannuation benefits.

(ii) Rs. 250/- p.m. after two years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits.

On and from 1-11-1994, other things beng equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as under :—

Those who have passed only Part I of CAIIB :

(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.

Those who have passed both Parts of CAIIB :

(i) Rs. 120/- p.m. after one year on reaching top of the scale.

(ii) Rs. 300/- p.m. after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal Allowance in terms of Regulation 5(3) (b) shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal allowance respectively for Part I and II as the case may be.

Note :—

(i) If an officer who is in receipt of professional qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).

(ii) On and from 1-11-1994 revised Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.

3(a) All officers who are in the Bank's permanent service as on 1st November, 1993 will get one advance increment in the scale of pay. Officers who are on probation on 1st November 1993 will get one advance increment one year after confirmation.

Note :—

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

(b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st November, 1993 will draw as Fixed Personal Allowance from 1st November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus Dearness Allowance Payable he e-on as on 1st November, 1993 plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22. The Fixed Personal Allowance given hereunder together with

House Rent Allowance, if any, shall remain frozen for the entire period of service :

Increment component	D.A. as on 1/11/1993	Total F.P.A. payable where Bank's accommodation is provided
A	B	C
Rs.	Rs.	Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

Note :—

(i) F.P.A. as indicated in (C) above shall be payable to those officer employees who are, provided with Bank's accommodation.

(ii) F.P.A. for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance drawn by the concerned officer employees when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) of Regulation 4 is earned.

(iii) Professional Qualification Allowance, if any, payable in the year of receipt of F. P. A. shall stand shifted to next year.

(iv) The increment component of Fixed Personal Allowance shall rank for superannuation benefits.

(c) An officer who has earned this advance increment shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance as mentioned in (b) above, one year after reaching the maximum of the scale.

4. In principal Regulation, for Regulation 21, the following may be substituted, namely :—

21(1) On and from 1-11-1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under :—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(a) 0.67% of 'Pay' upto Rs. 2500/- plus,

(b) 0.55% of 'Pay' above Rs. 2500/- to Rs. 4000/- plus,

(c) 0.33% of 'Pay' above Rs. 4000/- to Rs. 4260/- plus,

(d) 0.17% of 'Pay' above Rs. 4260/-

21(2) On and from 1/7/1993, Dearness Allowance Scheme shall be as under-:—

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 1148 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payable as per the following rates :—

(a) 0.35% of 'Pay' upto Rs. 4800/- plus,

(b) 0.29% of 'Pay' above Rs. 4800/- to Rs. 7700/- plus,

(c) 0.17% of 'Pay' above Rs. 7700/- to Rs. 8200/- plus,

(d) 0.09% of 'Pay' above Rs. 8200/-

Note :—

(i) 'Pay for the purpose of Dearness Allowance shall mean Basic Pay including stagnation increments.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for Dearness allowance with effect from 1/11/1954.

5. In Principal Regulations, for sub-regulation (1) and (2) of Regulation 22, the following may be substituted, namely,

22(1) Where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, on and from 1/11/1994, a sum equal to 4% of the Basic Pay in the first stage of scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

22(2) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from 1/11/992 for House Rent Allowance at the following rates:—

Column I	Column II
Where the place of ork is in	HRA payable shall be
(i) Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project Area Centres in Group 'A'	13% of the pay p.m.
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	12% of the pay p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above.	10 1/2 % of the pay p.m.
(iv) Area III	9 1/2% of the pay p.m.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommdation in excess over 4% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column II above whichever is lower.

Note :—

(i) 'Pay' for the purpose of House Rent Allowance shall mean Basic Pay including stagnation increments in terms of revised pay scale as on 1/7/1993.

(ii) Professional Qualification Allowance shall rank for House Rent Allowance with effect from 1/11/1994.

6. In principal Regulations, for sub-regulation (i) of Regulation 23, the following may be substituted, namely :—

23(i) On and from 1/11/1993, if he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place shall be payable.

Places	Rates
1	2
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4½% of Basic Pay subject to a maximum of Rs. 335/- per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above	3½ % of Basic pay subject to a maximum of Rs. 230/- per month

7. In principal Regulations, for Regulation 24, the following may be substituted, namely-:—

24(1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :—

(a) Medical expenses:—

On and from 1/11/1994, reimbursement of medical expenses to an officer in the grade specified in Column 1 of the Table below and his family may be made on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in Column 2 thereof-:—

Grade	Reimbursement limit p.a.
1	2
Junior Management and Middle Management Grade	Rs. 1500/-
Senior Management and Top Executive Grade	Rs. 2000/-

Note :—

(i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) For the year 1994 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, i.e., November and December, 1994.

Explanation :

'Family' of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only.

Note :—

(b) Hospitalisation expenses :

(i) On and from 1-11-1994, hospitalisation charges will be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation. Reimbursement on the basis of bills, vouchers, etc., of expenses incurred shall be subject to ceilings determined from time to time in accordance with the guidelines of the Government.

(ii) The officers or members of their families (as the case may be) are expected to secure admission in a Government or Municipal hospital or any Private hospital i.e., hospitals under the management of a Trust, Charitable Institution or a religious mission. But in unavoidable circumstances the officers or their family members or both may avail themselves of the services of one of the approved private nursing homes or private hospitals approved by the Bank. Reimbursement in such cases should, however, be restricted to the amount which would have been reimbursable in case the patient was admitted to one of the hospitals mentioned above.

(iii) On and from 1-11-1994, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and Bank's Medical Officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 100% in case of an officer and 75% in the case of his family members :—

Cancer, Leukaemia, Thalsamea, Tuberculosis, Paralysis, Cardiac ailment, Leprosy, Kidney ailment, Epilepsy, Parkinson's disease, Psychiatric disorder and diabetes.

Note :—

The cost of medicines etc. in respect of domiciliary treatment shall be reimbursed for the period stated in the Specialist's prescription. If no period is stated, the prescription for the purpose of reimbursement shall be valid for a period not exceeding 90 days.

(2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalisation etc.) listed in sub-regulation (1) above and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalisation, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalisation, etc.).

(3) Medical aid and hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

8. In principal Regulations, for Regulation 25, the following may be substituted, namely :—

25. No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer on and from 1-11-1994 a sum equal to 4% of the Basic Pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less.

Provided that a further sum equal to 1% of aBsic Pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence .

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

9. In principal Regulations, for sub-regulation (4) of Regulation 41, the following may be substituted, namely :—

41(4) On and from 1-6-1995 an officer in the Grades/Scales set out in column 1 of the Table below shall be entitled to Halting Allowance at the corresponding rates set out in Column 2 thereof :—

Grades/Scales of officers	Daily allowances (Rupees) Major 'A' class cities	Area I	Other places
1	2	3	4
Officers in Scale IV and above	250.00	200.00	175.00
Officers in Scale I/II/III	200.00	175.00	150.00

Provided that

(a) Where the total period of absence is less than 8 hours, but more than 4 hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

(b) Officers in various Grades/Scales may be reimbursed the actual hotel expenses, restricting to single room accommodation charges in ITDC Hotels, subject to the limits as given below :—

Grade/Scale of officers	Eligibility to stay	Boarding charges (Rs.) Major 'A' class I cities	Area	Other places
1	2	3	4	5
Scale VI & VII	4* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale IV & V	3* Hotel	250.00	200.00	175.00
Scale II & III	2* Hotel (Non-A/c)	200.00	175.00	150.00
Scale I	1* Hotel (Non-A/c)	200.00	175.00	150.00

(c) The Board may prescribe reimbursement of additional limit in excess of the limits prescribed in proviso (b) above in accordance with the gudelines of the Government.

(d) Where lodging is provided at Bank's cost/arranged through the Bank free of cost, 3/4th of the Halting Allowance will be admissible.

(e) Where boarding is provided at Bank's cost/arranged through the Bank free of cost, 1/2 of the Halting Allowance will be admissible.

(f) Where lodging and boarding are provided at Bank's cost/arranged through the Bank free of cost, 1/4th of the Halting allowance will be admissible. Where, however, an officer claims boarding expenses on a declaration basis without production of bills for actual expenses incurred, than he shall not be eligible for 1/4th of the Halting Allowance.

(g) A supplementary diem allowance of Rs. 10/- per day of halt outside headquarter on inspection duty may be paid to all inspecting officers.

Explanation :

For the purpose of computing Halting Allowance 'per diem' shall mean each period of 24 hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of parture in other cases, to the actual time of arrival. Where the total period of absence is less than 24 hours, 'per diem' shall mean a period of not less than 8 hours.

10. In principal Regulations, for sub-regulation 2(i) of Regulation 42, the following may be substituted, namely :—

42(2)(i) On and from 1-7-1993, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits :

Pay range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 4250/- p.m. to Rs. 6210/- p.m.	3000 Kgs.	1000 Kgs.
Rs. 6211/- p.m. and above	Full Wagon	2000 Kgs.

11. In principal Regulations, for Regulation 45, the following may be substituted, namely :—

45. Provident Fund and Pension :

(1) Every officer shall become a member of the Provident Fund constituted by the Bank, unless he is already a member of that fund and shall agree to be bound by the rules governing such fund.

(2) The Provident Fund rules framed shall provide that on and from 1-11-1993—

(a) In case of an officer governed by the Pension Scheme, contribution to the Provident Fund shall be made only by the officer at the rate of 10% of pay without any matching contribution on the part of the Bank.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7 1993 to 31-10-1993 shall be made.

(b) In case of an officer not governed by the Pension Scheme, contribution to Provident Fund by the officer and a matching contribution by the Bank shall be made at the rate of 10% of pay.

Provided that no adjustment on account of provident fund contributions already made for the period 1-7-1993 to 31-10-1993 shall be made.

(3) Officers joining the Bank's service on or after 29-9-1995 shall be governed by the Pension Scheme.

Provided that the following categories of officers shall not be covered by the Pension Scheme,

(a) An officer who was in service of the Bank prior to 29-9-1995, unless he has specifically exercised an option to become member of the Pension Scheme in response to Bank's notice to that effect.

(b) An officer who is recruited on or after 29-9-1995 at the age of 35 years and above, and who has elected to forego his right to Pension Scheme.

Note :

'Pay' for the purpose of Provident Fund Shall mean Basic Pay including stagnation increments, officiating allowance, Professional Qualification Allowance and increment component of Fixed Personal Allowance.

12. In principal Regulations, for Regulation 46, the following may be substituted, namely :—

46. *Gratuity*

(1) Every officer, shall be eligible for gratuity on :—

(a) retirement;

(b) death;

(c) disablement rendering him unfit for further service a certified by a Medical Officer approved by the bank;

(d) resignation after completing ten years of continuous service: or

(e) termination of service in any other way except by way of punishment after completion of 10 years of service.

(2) The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to a maximum of 15 months' pay.

Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond 30 years.

Provided further that pay for the purpose of Gratuity for an officer who ceased to be in service during the period 1-7-1993 to 31-10-1994 shall be with regard to scale of pay as specified in sub-regulation (1) of regulation 4.

Fool Note :

If the fraction of service beyond completed years of service is 6 months or more, gratuity will be paid pro-rata for the period.

N. BALAKRISHNAN
General Manager (Prs.)

The amendments carried out earlier in the above Regulations were gazetted vide Notification No. 16, 24 and 13 dated 21-4-90, 15-6-91 and 28-3-92 respectively.

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
(PERSONNEL DEPARTMENT)
HEAD OFFICE

New Delhi-110 001, the 26th September 1996

No. 3920.—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further The Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1982 namely :—

1. *Short Title and Commencement*

(1) These Regulations may be called Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeal) (Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Regulation 4 of the Oriental Bank of Commerce Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1982 (hereinafter called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting his pension".

(b) Under the heading "Major Penalties" the clauses (e) (f), (g) and (h) shall be re-numbered as clause (g), (h), (i) and (j);

(c) Before the re-numbered clause (g) the following shall be inserted namely :—

"(f) save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay".

(d) For the re-numbered clause (g) the following may be substituted namely :—

"(g) reduction to a lower grade or post".

3. In sub regulation (1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words brackets and figures "Clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4 the words, brackets and figures "clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4" may be substituted.

4. In sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures "Clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets and figures "Clauses (a) to (e) of regulation 4" may be substituted.

5. In the first proviso to sub-regulation (ii) of regulation 17 of Principal Regulations, for the words, brackets and figures "Clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "Clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of Regulation 4" may be substituted.

6. In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets and figures "Clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "Clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

NOTE : Earlier amendments to Oriental Bank of Commerce Officers' Employees' (Discipline & Appeal) Regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India as per details given below :

Sl. No., Notification No. & Date

1. 3905—12-11-1988.

P. K. SHARMA
General Manager (Per.)

CANTONMENT BOARD, ALLAHABAD CANTONMENT

Allahabad, the 9th September 1996

No. S.R.O. T-51/1 (DG.DE. No. 53/6/C/DE/94—Whereas a notice regarding the imposition of House Tax within the limits of Allahabad Cantonment was published on the 27th July 1995 in the Local News papers as required by Section 61 of the Cantt. Act 1924 (2 of 1924) for inviting objections and suggestions till the expiry of a period of thirty days from the date of publication of the said notice;

And whereas the said notice was put on the Notice Board of the Allahabad Cantonment on 26th July 1995;

And whereas the objection/suggestion received from the public on the said draft has been duly considered by the Cantonment Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 60 of the said Act the Cantonment Board, Allahabad with the previous sanction of the Central Government, hereby imposes House Tax on all lands and buildings within the limit of Allahabad Cantonment at the rate of 13% of Annual rental value of lands and buildings;

Provided that the said Tax shall not be levied on lands/buildings owned by the Cantonment Board and Central Government.

A. V. DHARMA REDDY
Cantt. Executive Officer
Allahabad Cantonment

NOTE:

The Cantonment Board Allahabad with the previous sanction of the Central Government imposed the House Tax at the rate of 10% per annum of annual rental value of lands and buildings published as No. 176 dated 7 11-42 in the Gazette of India Part III, Section-4 dated 7-11-1942.

The Cantonment Board Allahabad with the pervious sanction of the Central Government made the following amend ment in the notification of the Government of India in the Defence Department No. 176 dated 7-11-42.

To the said notification, the following paragraph shall be added namely :—

"This notification shall take on and from the 1st April 1943" Published as No. 95 dated 13-2-1943 in the Gazette of India, Part III, Section-4 dated 13-2-1943.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996